संख्या : 2879/1–10–2008–12(73)/2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री के0 चन्द्रमौलि,
महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग –10 लखनऊ दिनांक 23 मई, 2008

विषयः आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 375/आपदा प्रबन्धन/08 दिनांक 05 मई, 2008 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांकः 21 मई, 2008 में लिए गए निर्णयानुसार दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रुपया 15,70,000/– तथा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस (Training Need Analysis) कार्यशाला आयोजित करने हेतु रुपया 1,13,750/– अर्थात कुल धनराशि रुपया 16,83,750/– (रुपये सोलह लाख तिरासी हजार सात सौ पचास मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय माह जून, 2008 से मार्च, 2009 तक आयोजित किये जाने वाले आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 30 अधिकारी प्रति कोर्स की दर से कुल 20 कोर्स हेतु तथा ट्रेनिंग नीड एनालिसिस (Training Need Analysis) कार्यशाला दिनांक 29.05.2008 से 30.05.2008 पर व्यय की जायेगी। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत प्रबन्धन संस्थान के पत्र संख्या–45/10/2007–एन0डी0एम0–IV दिनांक 13 मार्च, 2008 में उल्लिखित दरों के आधार पर व्यय की जायेगी।

4. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2009 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रुप से समर्पित कर दिया जाय।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का प्रयोग केवल उपर्युक्त उल्लिखित कार्यो हेतु ही किया जाय, किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित संस्था को प्राप्त न हुई हो।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड –5 भाग –1 के प्रस्तर –369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 2879(1)/1–10–2008–12(73)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट ) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग–6/11/राहत आयुक्त की वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव